कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:-28.07.2022

आज दिनांक 28.07.2022 को श्री आर0एस0 गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा, श्री राजेश पाण्डेय, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी, श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध, प्रभारी निरीक्षक चौक व थानाध्यक्ष दशाश्वमेध की उपस्थिति में आगामी त्यौहार मुहर्रम के दृष्टिगत थाना दशाश्वमेध अन्तर्गत होटल गंगेज सभागार में पीस कमेटी की बैठक आहूत की गयी। बैठक में क्षेत्र के सभी ताजियादार तथा अन्य सम्भ्रान्त व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक के दौरान उनकी समस्याओं को सुना गया तथा शांति/सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखते हेतु अपील करते हुए पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा आगामी त्यौहार मुहर्रम के दृष्टिगत मीटिंग के दौरान निम्न निर्देश दिये गये-

1. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद समस्त व्यक्तियों से अपील की गयी कि ताजिया जुलूस अपने पारम्परिक रूप से निर्धारित मार्ग से ही निकाले जायेंगे। किसी भी प्रकार की कोई परम्परा / जुलूस मार्ग नहीं शुरू किया जायेगा।
2. सभी ताजिया अपने निर्धारित मानक (लम्बई-चौड़ाई) के अनुरूप ही निकाले जायेंगे। किसी भी प्रकार का कोई नया मानक नही बनायेंगे।
3. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में सम्बिन्धित को निर्देशित किया गया कि कांवड़ियों का रास्ता एवं जुलूस के रास्ते का अवलोकन कर लें कि कहीं दोनो लोग किसी एक जगह टकरा तो नहीं रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात प्रकाश में आये तो वैकल्पिक व्यवस्था बना लें।
4. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में जुलूस मार्ग में पड़ने वाले बिजली तार / जुलूस के दौरान मार्ग में पड़ने वाले व्यवधान आदि को समय से ठीक कराने हेतु सम्बिन्धित को निर्देशित किया गया।
5. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में सम्बिन्धित को यह भी निर्देशित किया गया कि सभी यह भी सुनिश्चित कर ले की जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय बात न हो।
6. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में जुलूस संयोजको से अपील की गयी कि जुलूस में शामिल होने वाले व्यक्तियों / वॉलंटियर का पहचान पत्र बना के दें तथा जुलूस के आगे-पीछे व दाएँ-बाएँ तैनात करेंगें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जुलूस में कोई अन्य बाहरी व्यक्ति सम्मिलित न होने पाये।
7. करतब (अखाड़ा) में कोई क्षति न हो लोगों को चोट न लगने पाये तथा आयोजकों से अपील की गयी कि प्रयास हो कि करतब आदि न दिखाये जायें।
8. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद समस्त व्यक्तियों से अपील की गयी कि आप लोग अफवाहों से बचें, यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाते हो तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं।

यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

9. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा निर्देश दिया कि कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नही करेगा। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित डेसीबल में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाउड स्पीकर की आवाज कार्यक्रम स्थल से बाहर न जाये।

10. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा सर्व सम्बन्धित को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया/अन्य माध्यमों से नफरत व द्वेष फैलाने वाले अफवाहों से बचें तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार को कोई मैसेज न भेजे जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाये। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

11. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा आने वाले आगामी त्यौहार मुहर्रम को शांति/सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखते हुए मनाने हेतु अपील की गयी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोन-काशी, कमिश्नरेट-
वाराणसी।